राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

स्वच्छ राजस्थान

P.R. DEPTT. S.L. 3532 Dt. 25/3/2025 DIR. (SBMG)

ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की स्थापना हेतु दिशा–निर्देश

(Revised Guidelines)

बजट घोषणा वर्ष 2025–26 बिन्दु संख्या 129 (6) (iv) के अनुसार :–

ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज Plastic के उपयोग से पर्यावरण के लिए चुनौति खड़ी हो गई है। इस समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायतों पर Steel के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए "बर्तन बैंक" बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रथम चरण में, एक हजार ग्राम पंचायतों (जिलावार सूची संलग्न है) को एक–एक लाख रूपये के बर्तन उपलब्ध कराये जायेगें।

(1) उद्देश्य :–

प्लास्टिक उत्पाद रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग बन गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक की खपत बढ़ गई है। प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है।

प्लास्टिक कचरा देश के ग्रामीण इलाकों में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती के रूप में भी उभरा है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन बैंक का उपयोग एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। विभाग द्वारा प्लास्टिक मुक्त गांव करने के लिए अनेक प्रयासों के अन्तर्गत बर्तन बैंक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सरकारी बैठकों, व्यक्तिगत/सामाजिक /धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में उपयोग होने वाले प्लास्टिक/डिस्पोजल के स्थान पर स्टील के बर्तनों का उपयोग किया जाना। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाई जाकर इसके उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा।

(2) बर्तन बैंक की कार्यप्रणाली :–

i. **बर्तन बैंकः** बर्तन बैंक में विभिन्न प्रकार के स्टील के बर्तन जैसे प्लेट, चम्मच, गिलास, कटोरी आदि के सेट उपलब्ध कराये जायेगे, जिन्हें ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर बैंक के रूप में रखा जायेगा।

ii. **बर्तन बैंक में बर्तन का विवरण :** प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु बर्तन के न्यूनतम 400 सेट उपलब्ध होंगे। प्रत्येक सेट में 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच एवं 1 ग्लास कुल 6 बर्तन होगे, जिस पर ग्राम पंचायत (नाम ग्रा.पं.) ..... बर्तन बैंक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) की मार्किंग की जायेगी।

iii. **बर्तन रखने हेतु रैक :** बर्तन बैंक में बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रखने एवं प्रदर्शित करने के लिए एक रैक की व्यवस्था की जायेगी, जिस पर "बर्तन बैंक" लिखा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

iv. **बर्तन बैंक का उपयोग** : ग्रामीणों द्वारा इन बर्तनों का उपयोग सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे :– विवाह, सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम, पदयात्रा एवं सरकारी कार्यक्रम जैसे :– प्रशिक्षण, बैठकें, अभियान, अन्य किसी भी कार्यक्रम में किया जायेगा।

v. **बर्तन बैंक का स्थान** : बर्तन बैंक का स्थान मुख्यतः ग्राम पंचायत भवन या ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे स्थान का चयन किया जाये, जहां पर बर्तनों को सुरक्षित तरीके से संधारित किया जा सके तथा आसानी से ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा सके।

vi. **बर्तन बैंक हेतु मैन पावर/मानवीय सेवाये** :– बर्तन बैंक के संचालन हेतु आवश्यक श्रमिक/मानवीय सेवायें राजीविका के स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी

vii. **बर्तन बैंक का प्रचार–प्रसार** :– ग्राम पंचायत में स्थापित बर्तन बैंक के अधिकतम उपयोग एवं प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के संबंध में ग्रामीण जन को प्रोत्साहित करने एवं जागरूक करने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(3) बर्तन बैंक का संचालन एवं बर्तनों का रख–रखाव :

i. ग्राम पंचायत में स्थापित बर्तन बैंक का संचालन राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जावेगा।

ii. बर्तन बैंक के संचालन हेतु ग्राम पंचायत एवं राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूह के मध्य एम.ओ.यू. किया जायेगा। (प्रारूप संलग्न है)

iii. बर्तन बैंक के संचालन हेतु मानवीय सेवाओं/श्रमिकों पर होने वाला व्यय बर्तन बैंक से प्राप्त आय से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जायेगा।

iv. बर्तन बैंक का संचालन करने हेतु राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूहों की चयनित महिलाओं को प्रशिक्षित किया जावेगा।

v. बर्तन बैंक में उपलब्ध बर्तनों एवं बर्तनों को किराये पर उपलब्ध कराने तथा जमा करने का दिनांकवार रिकॉर्ड का रजिस्टर के माध्यम से संधारित किया जावेगा।

vi. बर्तनों में टूट फूट होने अथवा गुम होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई उपयोगकर्ता के माध्यम से शुल्क के साथ वसूल की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

vii. **बर्तन बैंक** में बर्तनों के सेट की निर्धारित संख्या को बनाये रखने हेतु समय–समय पर आवश्यक बर्तनों का क्रय ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। इस हेतु राशि स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी।

viii. **बर्तन बैंक** में बर्तनों के सेट के रिप्लेसमेंट की न्यूनतम अवधि 05 वर्ष होगी। जो **बर्तन** अच्छी स्थिति में होंगे, उन्हे निरन्तर उपयोग में लिया जा सकेगा।

ix. **बर्तन बैंक** का सत्यापन : बर्तन बैंक का सत्यापन प्रत्येक तीन माह में एक बार **एवं** आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

(4) बर्तनों के उपयोग हेतु शुल्क का निर्धारण :

प्रत्येक बर्तन के सेट हेतु उपयोगकर्ता के लिए किराया 3.00 रू. प्रति सेट रहेगा। ग्राम पंचायत द्वारा (बी.पी.एल., दिव्यांग, अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा आदि) श्रेणी के नागरिकों को या किसी विशेष परिस्थितियों में किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकेगी। छूट के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा छूट के कारणों का उल्लेख कर रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

(5) बर्तन बैंक के शुल्क की आय व्यय का रिकॉर्ड संधारण :

बर्तन बैंक से प्राप्त आय/शुल्क को महिला स्वयं सहायता समूह के खाते में जमा कराया जायेगा तथा बर्तन बैंक से प्राप्त आय/व्यय के इन्द्राज हेतु रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जो कि प्रत्येक तीन माह में एक बार ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) बर्तन बैंक हेतु ग्राम पंचायत एवं स्वयं सहायता समूह का चयन :–

बर्तन बैंक स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत एवं स्वयं सहायक समूह का चयन पहले आओं पहले पाओं की तर्ज पर निम्नानुसार समिति द्वारा किया जायेगा :–

i. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – अध्यक्ष
ii. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – सदस्य
iii. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद – सदस्य
iv. जिला परियोजना समन्वयक (राजीविका) – सदस्य

(7) बर्तन बैंक के लिए वित्तीय प्रावधान :

i. ग्राम पंचायत द्वारा GF&AR तथा RTPP Act & Rules के अनुसार उपलब्ध राशि 1.00 लाख रू. अधिकतम, से उच्च गुणवत्ता के स्टील के बर्तन के सेट (6 बर्तन) क्रय कर स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

ii. बर्तन बैंक स्थापित करने हेतु राशि का व्यय राज्य वित्त आयोग मद से किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(8) मॉनिटरिंग :

बर्तन बैंक की स्थापना के उपरांत नियमित संचालन का पर्यवेक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। जिसकी समीक्षा समय–समय पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.), राजीविका तथा जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा की जावेगी।

यह वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 332500493 दिनांक 24.03.2025 से अनुमोदित है।

24/03/25	24.03.2025
(सलोनी खेमका)	(डॉ. जोगाराम)
राज्य मिशन निदेशक,	शासन सचिव एवं आयुक्त,
राजीविका	पंचायतीराज विभाग

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की स्थापना, संचालन एवं रख–रखाव हेतु

समझौता ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

स्वयं सहायता समूह, राजीविका ..... ग्रा.प. ..... प.स. .....
जिला .....

एवं

ग्राम पंचायत..... प.स. ..... जिला परिषद .....

के मध्य आज दिनांक ..... को किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की स्थापना, संचालन एवं रख–रखाव हेतु समझौता ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक स्थापित करने हेतु स्वयं सहायता समूह, राजीविका .... ग्रा.प. ..... प.स. .....जिला ..... जिसको प्रथम पक्ष कहा जायेगा एवं ग्राम पंचायत..... प.स. ..... जिला परिषद ..... जिसको द्वितीय पक्ष कहा जायेगा के मध्य समझौता ज्ञापन निम्न शर्तों/प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है।

1. **प्रथम पक्ष स्वयं सहायता समूह, राजीविका ..... ग्रा.प. ..... प.स. ....जिला .....का दायित्व**

i. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से प्राप्त बर्तनों के सेट को चयनित स्थान पर व्यवस्थित रूप से संधारित कर बर्तन बैंक स्थापित करेगा।

ii. प्रथम पक्ष द्वारा स्थापित बर्तन बैंक का नियमित संचालन एवं रख–रखावकिया जायेगा।

iii. बर्तन बैंक से प्राप्त आय/शुल्क को प्रथम पक्ष द्वारा अपनेबैंक खाते (स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता) में जमा कराया जायेगा तथा बर्तन बैंक से प्राप्त आय/व्यय के इन्द्राजहेतु रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जो कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक बार द्वितीय पक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।

iv. प्रथम पक्ष द्वाराबर्तन बैंक के संचालन हेतु आवश्यक श्रमिक/मानवीय सेवायें उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसका मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान बर्तन से प्राप्त आय में से किया जायेगा।

v. प्रथम पक्ष द्वारा बर्तन बैंक में उपलब्ध बर्तनों एवं बर्तनों को किराये पर उपलब्ध कराने तथा जमा करने का दिनांकवार रिकॉर्ड का रजिस्टर के माध्यम से संधारित किया जावेगा।

vi. प्रथम पक्ष द्वारा राजीविका एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के साथ–साथ ब्लॉक एवं जिला स्तर के अधिकारियों को सत्यापन हेतु बर्तन बैंक का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. **द्वितीय पक्ष ग्राम पंचायत..... प.स. ..... जिला परिषद ..... का दायित्व**

   i. द्वितीय पक्ष द्वाराबर्तन बैंक स्थापित करने हेतु उच्च गुणवत्ता के बर्तनों के सेट (1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच एवं 1 ग्लास का कुल 6 बर्तन) क्रय कर प्रथम पक्ष को उपलब्ध करवाकर रसीद प्राप्त की जायेगी।

   ii. द्वितीय पक्ष द्वाराबर्तन बैंक में बर्तनों के सेट की निर्धारित संख्या को बनाये रखने हेतु समय–समय पर आवश्यक बर्तनों का क्रय प्रथम पक्ष को उपलब्ध करवाये जायेगे।

   iii. द्वितीय पक्ष द्वाराबर्तन बैंक कास्थानमुख्यतः ग्राम पंचायत भवन या ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे स्थान का चयन किया जाये, जहां पर बर्तनों को सुरक्षित तरीके से संधारित किया जा सके तथा आसानी से ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा सके।

   iv. द्वितीय पक्ष द्वाराबर्तन बैंक के अधिकतम उपयोग एवं प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के संबंध में ग्रामीण जन को प्रोत्साहित करने एवं जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

   v. द्वितीय पक्ष द्वाराप्रथम पक्ष द्वारा संचालित बर्तन बैंक का प्रत्येक तीन माह में एक बार **एवं** आवश्यकता होने पर सत्यापन किया जायेगा। जिसमें बर्तन बैंक के आय–व्यय का रिकॉर्ड, वर्तमान में बर्तनों की स्थिति एवं संख्या का स्टॉक से मिलान सम्मिलित है।

3. बर्तन बैंक की न्यूनतम अवधि 05 वर्ष होगी तथा बर्तनों की स्थिति के अनुसार दोनो पक्षों की सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

4. बर्तनों में टूट फूट होने अथवा गुम होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई उपयोगकर्ता के माध्यम से शुल्क के साथ वसूल की जावेगी। जिसमें आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग किया जावेगा।

5. बर्तन बैंक का संचालन करने हेतु राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूहों की चयनित महिलाओं को प्रशिक्षित किया जावेगा।

6. बर्तन बैंक स्थापित करने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना दोनो पक्षों द्वारा की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक ..... को स्वयं सहायता समूह, राजीविका ..... ग्रा.प. .... प.स. .....जिला ..... (प्रथम पक्ष) एवं ग्राम पंचायत..... प.स. ..... जिला परिषद ..... (द्वितीय पक्ष) के मध्य समझौता ज्ञापन उपर्युक्त शर्तो व प्रावधानों के अन्तर्गत हस्ताक्षरित किया जाता है।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
नाम :–	**नाम :–**	**नाम :–**	**नाम :–**
अध्यक्ष	**कोषाध्यक्ष**	**सरपंच**	**ग्राम विकास अधिकारी**
स्वयं सहायता समूह, राजीविका, ...		**ग्राम पंचायत..... प.स. .....**	
(प्रथम पक्ष)		**(द्वितीय पक्ष)**	

1. गवाह हस्ताक्षर :–
   जिला परियोजना समन्वयक,
   राजीविका

1. गवाह हस्ताक्षर :–
   विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति .....

Scanned with OKEN Scanner

Annex-01

District wise No of of Gram Panchayat to Establish Bartan Bank

S. No.	Name of District	No of Gram Panchayat
1	Ajmer	27
2	Alwar	30
3	Balotra	27
4	Banswara	30
5	Baran	24
6	Barmer	30
7	Beawar	18
8	Bharatpur	21
9	Bhilwara	30
10	Bikaner	27
11	Bundi	15
12	Chittorgarh	30
13	Churu	21
14	Dausa	30
15	Deeg	15
16	Dholpur	20
17	Didwana-Kuchaman	21
18	Dungarpur	30
19	Ganganagar	27
20	Hanumangarh	21
21	Jaipur	30
22	Jaisalmer	21
23	Jalore	30
24	Jhalawar	24
25	Jhunjhunu	30
26	Jodhpur	30
27	Karauli	24
28	Khairthal-Tijara	15
29	Kota	20
30	Kotputli-Behror	20
31	Nagaur	24
32	Pali	24
33	Phalodi	24
34	Pratapgarh	24
35	Rajsamand	24
36	Salumbar	20
37	Sawai Madhopur	21
38	Sikar	30
39	Sirohi	20
40	Tonk	21
41	Udaipur	30
Total		1000

Scanned with OKEN Scanner